माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सारांश 8 मई 2009 को दिया गया

1. माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जितनी भी राघवन समिति द्वारा सिफारिशे की गयी हे उन्हें तुरंत लागू किया जाये. सफरिशे नीचे दी गयी है:
   - विश्वास बहाली के उपायों जैसे सलाहकारों की नियुक्ति, जूनियर्स के आने के एक सप्ताह या दो सप्ताह के बाद वरिष्ठ छात्रों का आगमन, संयुक्त अभिविन्यास कार्यक्रम, जूनियर्स और वरिष्ठ छात्रों के लिए संयुक्त संवेदीकरण कार्यक्रम जिसको प्रधानाचार्य /संस्था प्रमुख द्वारा संबोधित किया जायेगा| संगठन बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक, खेल और अन्य गतिविधियओ का आयोजन करना ,संकाय सदस्यों का छात्रावास छात्रों के साथ भोजन का प्रावधान उनके संबंधित हॉस्टल में ही करना इत्यादि।
   - हर संस्था में एक एंटी रैगिंग समिति और एक एंटी रैगिंग दस्ता होना चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर रैगिंग के लिये एक निगरानी कक्ष होना चाहिए और उसे अपने अंतर्गत आने वाले कॉलेजों और संस्थानों के साथ समन्वय बना कर रखना चाहिए| राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के स्तर पर भी एक निगरानी प्रकोष्ठ होना चाहिए।
   - निजी वाणिज्यिक प्रबंधित की बढ़ती संख्या के प्रकाश में, जो आवास और हॉस्टल संस्था के परिसर के बाहर हैं, ऐसे हॉस्टल और प्रबंधन को स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ पंजीकृत होना चाहिए, और इस तरह के हॉस्टल को शुरू करने की अनुमति स्थानीय पुलिस से लेना अनिवार्य होने के साथ पंजीकृत हॉस्टल या उन्हें रजिस्टर करने की लिए जरूरी हे की प्रमुख शैक्षिक संस्थानों द्वारा भी सिफारिश की जाये| दोनों स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन के लिए और संस्थागत अधिकारियों के लिए भी अनिवार्य हे की रैगिंग की परिभाषा में आने वाली सुनिश्चित घटनाओं की अच्छी तरह से जांच हो सके।
   - वार्डनों को सभी घंटे में सुलभ होना चाहिए है और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि वे, टेलीफोन और संचार के अन्य साधनों पर भी उपलब्ध हो| इसी प्रकार, अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के टेलीफोन नंबर संस्थानों के प्रमुखों, संकाय सदस्यों, एंटी - रैगिंग के सदस्यों, समितियों, जिला और उप - मंडल के अधिकारियों और राज्य के अधिकारियों , जहाँ भी प्रासंगिक हो. जरूरतमंद लोगों के लिए व्यापक रूप से या आपात स्थिति में मदद करने के लिए तैयार होना चाहिए।
   - ब्रोशर या पुस्तिका / पत्रक / जिसमे रोकथाम और निवारण की विधियों का खाका होगा, प्रत्येक शैक्षिक सूत्र की शुरुआत में प्रत्येक छात्र के लिए वितरित करना और वचन लेना कि वे रैगिंग में शामिल या रैगिंग में उकसाने वाले किसी भी तरह के कोई भी कार्य में भाग नहीं लेंगे।

- शैक्षिक संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक छात्रावास में एक पूर्ण कालिक वार्डन होना चाहिए जो छात्रावास के भीतर रहता हो या कम से कम छात्रावास के आसपास रहता हो।

2. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि मानव का मंत्रालय संसाधन विकास, भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ परामर्श में, यूजीसी, एमसीआई, एआईसीटीई और अन्य इसी तरह की नियामक संघटन, डॉ. राज कचरू के सुझाव के अनुसार एक केंद्रीय संकट हॉटलाइन और विरोधी रैगिंग डेटाबेस की स्थापना करने की प्रक्रिया में लगे हुआ थे। माननीय अदालत ने हालांकि कहा कि:
   - डेटाबेस की निगरानी का कार्य एक गैर सरकारी एजेंसी को दिया गया, जिसे जनता में विश्वास पैदा करने के लिए तुरंत भारत संघ द्वारा नामांकित किया गया और जो गैर अनुपालन की जानकारी नियामक निकायों और राघवन समिति को प्रदान करेगा।
   - छात्र और उसकी / उसके माता - पिता / संरक्षक, द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक शपथपत्र संग्रहीत किया है जिसमे की हर एक छात्र का विवरण है, डेटाबेस इन्ही शपथ पत्र के आधार पर बनाया जायेगा।
   - डेटाबेस एक रिकॉर्ड की तरह कार्य करेगा जिसमे रैगिंग की शिकायतों को प्राप्त किया जायेगा और उन पर कार्रवाई की जानकारी भी दी जाएगी।

3. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि रैगिंग के खतरे को रोकने का विनियम होना चाहिए, यूजीसी को सभी नियामक निकायो जैसे की आईसीटीई, एमसीआई, डीसीआई, एनसीआई आदि के द्वारा अपनाया जाना चाहिए।

4. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि कचरू की मौत से जुड़े मामले से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता हे कि तैयार किये गए निर्देश और नियम पर्याप्त नहीं थे। इसलिए, माननीय अदालत ने आदेश दिया कि इस तरह के नियमों को कड़ाई से लागू किया जाये और जो संस्थानों के प्रशासन के प्रमुखों रैगिंग की रोकथाम में समय पर कदम नहीं लेते हैं और रैगिंग करने वाले को सजा नहीं देते उन्हें दंडित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी, इस दंड परिणाम के अलावा, विभागीय जांच में भी इस तरह की संस्थाओं के सदस्यों के खिलाफ, प्रशासन / संकाय सदस्यों / गैर शिक्षण स्टाफ, जो रैगिंग की शिकायतों के प्रति उदासीन या असंवेदनशील रवैया प्रदर्शित करते हे उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

5. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न केवल छात्र, बल्कि शिक्षण स्टाफ को भी रैगिंग की बीमारियों और उसकी रोकथाम के प्रति अवगत होना चाहिए। गैर शिक्षण स्टाफ, जिसमें प्रशासनिक कर्मचारियों अनुबंध कर्मचारियों, सुरक्षा गार्ड, आदि को भी नियमित रूप से रैगिंग की बुराइयों और परिणाम, से अवगत होना चाहिए।

6. माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि प्रिंसिपल या संस्था / विभाग का प्रमुख हर कर्मचारी से एक उपक्रम प्राप्त करेगा, संस्था के शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ के सदस्यों, संविदा श्रम या तो कैंटीन चलाने के लिए या किसी रूप में परिसर में कार्यरत, वार्ड स्टाफ , सफाई या इमारतों / लॉन रख रखाव आदि के लिए | वह तुरंत रैगिंग की किसी भी मामले में जो करने के लिए आता है रिपोर्ट होगा उसका / उसकी सूचना. जारी करने के लिए सेवा नियमों में ऐसा प्रावधान किया जाएगा की जो कर्मचारी रैगिंग की रिपोर्ट देंगे ऐसे सदस्यों को उनके सर्विस रिकार्ड के रूप में प्रणाम पत्र मिलेगा।

7. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आवश्यक था कि खुद के माता - पिता / संरक्षक संस्थान के प्रमुख रैगिंग की किसी भी उदाहरण की तुरंत सूचना देना अपनी जिम्मेदारी माने।

8. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसएचओ /वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिनके क्षेत्राधिकार में एक विशेष महाविद्यालय आता है रैगिंग से संबंधित कॉलेज के परिसर में कोई किसी भी तरह की घटना उत्तरदायी लेना होगा और प्रभावी ढंग से रैगिंग की घटनाओं से निपटने के लिए, भी तैयार रहना होगा। एक बार केंद्रीय हॉटलाइन / डेटाबेस संकट में पड़े छात्रों की मदद के लिए ऑपरेटिव हो जाता है तो एसएचओ / वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के,जिनके अधिकार क्षेत्र के भीतर एक विशेष रूप से कॉलेज जाता है, जल्द ही एसएचओ /वरिष्ठ पुलिस अधिकारी प्रभावी ढंग से घटना के साथ न्याय करेंगे.और संकट हॉटलाइन कर्मचारियों और / या संवाद स्वतंत्र निगरानी एजेंसी के साथ सहयोग करेंगे| जससे लोगों में विश्वास जाग्रत हो और वे, भय या देरी के बिना रैगिंग की घटनाओं की रिपोर्ट करे।

9. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार हॉटलाइन डेटाबेस / संकट सहकारी चालू हो जाये, तो राज्य सरकारों को उनके विरोधी रैगिंग विधियों में संशोधन करना होगा और प्रावधान है कि संस्थागत पर दंडात्मक परिणाम भी शामिल हैं।